न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2024 | दायर दिनांक 09.07.2024 | निर्णय दिनांक 21.01.2025

उनवान

1. उगमी पुत्री स्व० श्री काशी गाडरी निवासी सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा।
2. रूकमा पुत्री स्व० श्री काशी गाडरी निवासी सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा।
3. मगनी पुत्री स्व० श्री काशी गाडरी निवासी सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा।
4. रामगणी पुत्री स्व० श्री काशी गाडरी निवासी सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा
5. लाली पुत्री स्व० श्री काशी गाडरी निवासी सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा

–– अपीलार्थीगण

बनाम

1. भगवान पुत्र स्व० श्री काशी गाडरी निवासी– सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा
2. घीसी पत्नी स्व० श्री काशी गाडरी निवासी सवाईपुर उप तहसील बड़लियास जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत सवाईपुर पंचायत समिति कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राज०) जरिये सरंपच ग्राम पंचायत सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर, पूर्व तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।
2. विपक्षी संख्या 01 व 02 उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 03 उपस्थित नहीं।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1626 दिनांक 07.12.2009
ग्राम पचांयत सवाईपुर पंचायत समिति कोटडी जिला भीलवाडा
अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपीलार्थीगण अपना अपील प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 01 आपस मे सगे भाई है व प्रत्यर्थी संख्या 02 जो कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 की माता होकर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 जो कि काशी पुत्र श्री प्रताप गाडरी के पुत्रीया, पुत्र व पत्नी होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है।

वादग्रस्त आराजियात ग्राम सरहद सवाईपुर पटवार हल्का सवाईपुर तहसील कोटड़ी वर्तमान तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज०) में खाता संख्या 128 मे आराजी नम्बर 502 रकबा 0.4128 हैक्टयर, आराजी नम्बर 503/1 रकबा 0.0647 हैक्टयर, आराजी नम्बर 764 रकबा 0.2266 हैक्टयर, आराजी नम्बर 765 रकबा 0.0728 हैक्टयर कुल किता 4 रकबा 0.7769 हैक्टयर एवं खाता संख्या 16 मे आराजी नम्बर 503 रकबा 0.4694 हैक्टयर, आराजी नम्बर 763 रकबा 0. 1538 हैक्टयर, आराजी नम्बर 765/1 रकबा 0.1700 हैक्टयर, आराजी नम्बर 766 रकबा 0.0243 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.8175 हैक्टयर भूमि स्थित है।

उक्त वादग्रस्त आराजी के मूल नम्बर 502 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 503 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 763 रकबा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 765 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 766 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा है। जो जमाबंदी संवत 2065–2068 में अपीलार्थीगण के पिता काशी पुत्र श्री प्रताप गाडरी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण एंव प्रत्यर्थी संख्या 01 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 02 के पति काशी पुत्र श्री प्रताप गाडरी के जमाने की होकर अपीलार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है। जिसमे अपीलार्थीगण प्रत्येक का 1/14, 1/14 संयुक्त 5/14 हक हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या 01 का 1/14 व प्रत्यर्थी संख्या 02 का 1/14 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार अपीलार्थीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलार्थीगण के पिता काशी जी का देहान्त हो चुका है। अपीलार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात मे अपने हक हिस्से पर पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी व दिनांक 20/06/2024 को प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा की व उक्त आराजियात मे अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही होने की बात कही, इस पर अपीलार्थीगण ने जानकारी की व नामान्तरणकरण की नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 23/06/2024 को पेश किया व नकल दिनांक 26/06/2024 को प्राप्त हुई, तब अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रत्यर्थीगण ने ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर अपीलार्थीगण जो कि काशी पुत्र श्री प्रताप गाडरी की जायन्दा पुत्रीया होते हुए व सजरे मे उक्त पुत्रीयो को भी दर्शाने के बावजूद भी अपीलार्थीगण काशी जी की विधिक वारीस व उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण को उनके हक हिस्से से महरूम करने की गरज से अकेले प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 के नाम पर दर्ज कर दी जो विधि विरूद्ध है। जबकि अपीलार्थीगण काशी जी गाडी की जायन्दा पुत्रीया होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी होकर अपने नाम पर दर्ज करवाने क अधिकारी है। प्रत्यर्थी संख्या 03 ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारीयो ने बिना किसी प्रकार की स्वतंत्र जांच किये बिना उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त आराजियात अपीलार्थीगण की पैतृक होकर अपीलार्थीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। ग्राम पंचायत सवाईपुर ने उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है जो बिना किसी जांच पडताल किये मनमकसूद तौर पर बिना अपीलार्थीगण को सुने फैसल किया है, जो विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थीगण अपील मे वर्णित आराजियात मे अपने हक हिस्से पर पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी व दिनांक 20/06/2024 को प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग बाधा पैदा की व उक्त आराजियात में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने की बात कही, इस पर अपीलार्थीगण ने जानकारी की व नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.06.2024 को पेश किया व नकल दिनांक 26.06.2024 को प्राप्त हुई है तथा जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पचायत सवाईपुर पंचायत समिति कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश संख्या 1626 दिनांक 07.12.2009 को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात में प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के साथ साथ अपीलार्थीगण के नाम भी दर्ज कराने एवं उक्त नामान्तकरण की आड में आगे दर्ज सभी प्रविशिष्टीयों को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थीगण का अपील प्रार्थनापत्र पंजीबंद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग अंकित करते हुये अपीलान्ट की अपील स्वीकार करनें में आपत्ति प्रकट नहीं की है। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद का प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 23.06.2024 को हुई। दिनांक 26.06.2024 को अपील पेश करते हुये अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य करने की प्रार्थना की गयी है न्याय की दृष्टि से अपीलार्थीगण को अपील में पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलार्थी अधिवक्ता अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये ग्राम सवाईपुर तहसील कोटडी के नामान्तकरण संख्या 1626 में काशी पिता प्रताप गाडरी की मृत्यु के पश्चात् विरासत में घीसी बेवा काशी, भगवान पुत्र काशी, उगमी, रूकमा, मगनी, रामगणी, लाली पुत्रियॉ काशी 1/2 गाडरी पटवारी हल्का द्वारा विरासत में अंकन किया गया जिसकी जॉच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई इस नामान्करण को सरपंच ग्राम पंचायत सवाईपुर ने दिनांक 07.12.2009 को स्वीकृति किया जिसमें उगमी, रूकमा, मगनी, रामगणी, लाली पुत्रियॉ काशी गाडरी के नाम स्वीकृत नहीं किया है। जबकि काशी पिता प्रताप गाडरी की विरासत में प्रत्यर्थी घीसी व भगवान का नाम ही दर्ज किया गया है जो त्रृटिपूर्ण है जबकि अपीलार्थीगण काशी पुत्र प्रताप गाडरी की पुत्रियॉ होकर जन्म से ही विधिक वारीस है। अपीलार्थीगण पैतृक भूमि में अपना नाम विरासत से दर्ज कराने की अधिकारी है। अपीलार्थीगण की अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरती है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर ग्राम सवाईपुर पटवार हल्का सवाईपुर भू0अ0 क्षैत्र सवाईपुर तहसील कोटडी के नामान्तकरण संख्या 1626 पर पारित नामान्तकरण सरपंच ग्राम पचांयत सवाईपुर के आदेश दिनांक 07.12.2009 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सवाईपुर के आराजी नम्बर 502, 503, 763, 764, 765, 766 में काशी पिता प्रताप गाडरी 1/2 एवं आराजी नम्बर 493 गे0मु0 आचा में अंकित काशी पिता प्रताप गाडरी के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है में काशी पिता प्रताप गाडरी की विरासत कार्यवाही में काशी की पुत्रियॉ अपीलार्थी की जॉचकर पुनः विरासत नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास को प्रेषित की जावें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा